FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. धर्मेन्द्र साहू बनाम हरदेवनाथ वगैरह दीवानी वाद संख्या – 09/2017 सीआईएस संख्या – 09/2017	Brief note of Compliance of Order
11.09.2025	वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि वादी ने अपने वादपत्र में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी ने खसरा संख्या 78/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि को स्वयं की बताकर दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा नहीं होना, बेचान, बख्शीश, वसीयत आदि के द्वारा अंतरण हस्तांतरण नहीं हुआ होना बता करके किसी भी न्यायालय में वाद लम्बित नहीं होना बता करके बेचान किया व इस संबंध में विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 निष्पादित किया गया। वादीगण ने अपने वाद के पैरा संख्या 9 में 9 वीं पंक्ति से 19 वीं पंक्ति में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुल राशि 8 लाख रुपये प्राप्त करने के पश्चात जब जानकारी में आया कि उक्त भूमि बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के यहां प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र कैलाशनाथ द्वारा उक्त भूमि को पैतृक होना बताकर अपना हित बताकर उक्त भूमि की खातेदारी दिये जाने हेतु दिनांक 01.04.2010 को वाद पेश कर रखा है। वाद के साथ स्टे प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2011 को आदेश पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद कर रखा था जो मूल वाद के निर्णय तक उक्त भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण ना करे। विवादित भूमि कृषि भूमि है। उक्त स्थगन आदेश विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 को प्रभावी था। वादी ने वाद कारण के संबंध में पैरा संख्या 16 में अंकित किया है कि यह कि वाद कारण दिनांक 21.03.2016 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के पक्ष में वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विक्रय इकरारनामा निष्पादित कर राशि प्राप्त की थी। दिनांक 21.03.2016 को उक्त भूमि अजमेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ के यहां रहन थी अर्थात् भूमि भारमुक्त नहीं थी। अतः ऐसी दशा में यदि कोई विक्रय इकरारनामा किया गया तो वह विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर प्रभावहीन है। उक्त इकरारनामा स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए निष्पादित किया गया जो विधि विरुद्ध है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध वाद पेश करने का कोई विधिक अधिकार अथवा वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। अतः वाद कारण के अभाव में वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये :– Vinod Infra Developers Ltd. VS Mahaveer Lunia & Ors. 2025(3) DNJ (SC) 893 उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत किया। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा पूर्व में भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। पुनः हस्तगत प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण में	

11/9/25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

विलम्ब कारित करने के आशय से पेश किया है। प्रतिवादी ने जो स्थगन आदेश के बारे में बताया है उसकी जानकारी वादीगण को इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 को नहीं थी। उक्त भूमि निर्विवादित होना बताते हुए विक्रय की गई थी। उक्त भूमि वाद प्रस्तुति के समय सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के यहां रहन नहीं थी। इस कारण उक्त विक्रय इकरारनामा निष्पादित करवाने में कोई विधिक रोक नहीं थी। वादीगण के द्वारा वाद पेश करते समय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह बताया गया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश प्रभावी नहीं था। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 21.03.2016 को विक्रय इकरारनामा निष्पादित किया गया था। वाद कारण निरन्तर जारी है। वादीगण के द्वारा सदभाविक रूप से विश्वास करके प्रतिवादी संख्या 1 से संव्यवहार कर राशि अदा कर इकरारनामा निष्पादित करवाया गया। अत: प्रार्थना पत्र निराधार होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिवादी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये :-

1- 2020 SAR (Civ) 793 SC ---- Dahiben VS Arvindbhai kaktani Bhanusali (Gajra) (D) through Lrs. & Ors.

2- Civil Appeal No. 6075 of 2023 Sabbir (Dead) through Lrs. VS Anjuman (Since Deceased) through Lrs

3- Civil Appeal No. 500 to 506 of 2022 – C.S. Ramaswamy VS V.K. Senthil & Ors. and 13 others

4- 2023 SAR (Civ) 740 Online (SC) 488 SC – Ramisetty Venkatanna & Anr. VS Nasyam Jamal Sahab & Ors.

5- 2017(1) WLC (Raj.) UC 56 Raj. High Court Jodhpur – Smt. Shamim Bano VS NEK Mohammad @ Aziz

उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए प्रार्थना पत्र वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 का न्यायिक स्थगन आदेश के उल्लंघन में निष्पादित होने तथा निष्पादन के समय उक्त भूमि अजमेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ के यहां रहन होने से इकरारनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर विधि विरुद्ध होने तथा वादी को दिनांक 21.03.2016 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर वाद वादी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो वादी ने हस्तगत वाद विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की विनिर्दिष्ट अनुपालना व विक्रय पत्र निरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। वादी ने वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 8 लाख रुपये प्रति वीघा की दर से बेचान करना तय कर 5 लाख रुपये साई पेटे रूबरू गवाहान प्राप्त कर दिनांक 21.03.2016 को रूबरू गवाहान इकरारनामा निष्पादित किये जाने का कथन किया है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 6 में अंकितानुसार उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाकर उसकी सूचना वादीगण को देने के बाद 3 माह में विक्रय पत्र के पंजीकरण के समय बकाया राशि वादीगण से प्राप्त कर पंजीयन करवाये जाने का तथ्य भी अंकित है तथा उक्त भूमि रहन होने के पश्चात उसके रहन मुक्त होने की कोई सूचना वादीगण को नहीं होना भी बताया है। पैरा संख्या 9 में वादी ने अंकित किया है कि 8 लाख रुपये प्राप्त

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

करने के पश्चात वादीगण को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के यहां प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र कैलाशनाथ द्वारा उक्त भूमि में अपना हित बताकर खातेदारी दिये जाने के संबंध में वाद प्रस्तुत होना जिसमें स्थगन आदेश जारी होने की जानकारी होना बताया है तथा तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि निर्विवादित होना बताकर बेचान करने के संबंध में कहे जाने का भी अंकन है। रहन मुक्त तरमीम करवाने के पश्चात उक्त भूमि के संबंध में विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण कर उक्त भूमि को विवाद रहित करने की कोई सूचना नहीं दिये जाने के बावजूद भी बिना किसी विधिक अधिकार के वाद को दिनांक 19.07.2016 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को अपने पुत्र कैलाशनाथ के ससुर प्रतिवादी संख्या 2 से मिलकर फर्जी दिखावटी विक्रय पत्र तैयार करवा लिया जो दिनांक 04.08.2016 को तैयार कर दिनांक 05.08.2016 को रजिस्टर्ड करवाया गया। इस प्रकार वादी ने अपने वादपत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं उनमें इकरारनामा के निष्पादन के समय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के संबंध में जानकारी नहीं होना तथा रहनमुक्त होने के पश्चात विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने का तथ्य अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी ने न्यायालय में कार्यवाही लम्बित होने की जानकारी नहीं होने का अंकन किया है। इकरारनामा विधि विरुद्ध है या नहीं है, इस तथ्य का विनिश्चय उभयपक्षों की साक्ष्य होने के उपरांत ही मूल प्रकरण के निस्तारण के समय किया जा सकता है। इसके आधार पर वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त वादी ने अपने वादपत्र के पद संख्या 16 में वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न होना अंकित किया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को केवल वादपत्र के अभिवचनों को ही दृष्टिगत रखना होता है। वादी द्वारा जो अपने वादपत्र में तथ्य अंकित किये हैं उनसे वादी का वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न होने के संबंध में तथ्य विस्तृत रूप से अभिवचित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया वादी द्वारा वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न नहीं हुआ हो, यह प्रकट नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित वाद कारण को इस आधार पर चुनौती नहीं दी है कि उक्त वाद कारण इकरारनामा के विधि विरुद्ध होने से नहीं बनता बल्कि वादी द्वारा इकरारनामे की शर्तों के अनुसार बकाया प्रतिफल राशि अदा नहीं करने के आधार पर वाद उत्पन्न नहीं होने का उल्लेख किया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता। प्रतिवादी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं वह भी हस्तगत प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों से भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर ने शीघ्र निस्तारण के निर्देश दे रखे हैं। पत्रावली साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर है। अतः ऐसी स्थिति में आईन्दा वादी अपनी समस्त साक्ष्य पेश करे। वादी गवाहान के उपस्थित आने पर प्रतिवादी आवश्यक रूप से जिरह करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।

11/9/25

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)